

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 148/2008

1. नाथू पुत्र मूल्या
2. हरीश
3. विनोद
4. राजेश

पुत्रान नाथू

जातियान खाती निवासीगण बोहत तह0 मांगरोल जिला बारां

.....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. श्रवण
2. प्रेमचन्द
3. चेतन
4. हेमराज

पुत्रान मथुरालाल जातियान नाई निवासीगण बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां

5. मोहनी बाई पुत्री मथुरालाल पत्नि रामनारायण जाति नाई निवासी खेडी जागीर तह0 मांगरोल
6. जमना लाल पुत्र काल्या जाति नाई निवासी बोहत तह0 मांगरोल जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री हरीश राजावत

दायरा दिनांक: 05.09.2008

निर्णय दिनांक : 25.06.2018

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2018 की पालना में तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/18/47 दिनांक 25.06.2018 से ग्राम बोहत के जमाबंदी सम्वत 2073-76 खाता संख्या 855 कित्ता 2 रकबा 1.36 है0 का बंटवारा प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया:-

01. हरीश, विनोद पुत्र नाथू जाति खाती के खाते निम्न प्रकार भूमि रहेगी

खसरा नं० 2660 रकबा 0.02 है० किस्म गै०मु० चाह , खसरा नं० 2661 दक्षिणी रकबा 0.66 है०
किस्म नहरी द्वितीय लगान 21.12 रूपये कुल किता 2 रकबा 0.68 है० लगान 21.12 रूपये रहन
ऐक्सिस बैंक बारां हिस्सा विनोद

02. श्रवण लाल, प्रेमचंद, चतेन प्रकाश, हेमराज पुत्र मथुरा लाल गायत्री बाई, कलावती बाई, मंजू बाई
पुत्री मथुरालाल हि० 1/2 रूप नारायण पुत्र जमनालाल गायत्री कलाबाई मन्जूबाई संतोष बाई
पुत्रियां जमनालाल हिस्सा 1/2 जाति नाई के खाते में निम्न प्रकार भूमि रहेगी।

खसरा नं० 2661 (उत्तरी) रकबा 0.68 है० नहरी प्रथम लगान 21.76 रू० (रहन एच के जी बी
शाखा बोहत)

तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते पृथक
पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णय से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प बोहत
मजमेंआम में सुनाया गया।